"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 जून 2015—आषाढ़ 5, शक 1937

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 8 जून 2015

प्र. क्र./ब-113 (1) /वर्ष 2014-15

क्रमांक/239/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2015.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री नारायण प्रसाद मिश्रा आत्मज स्व. राधिका प्रसाद मिश्रा साकिन कविता नगर पोस्ट आफिस शंकर नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर द्वारा "त्रिवेणी मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट" पता पी. 45 कविता नगर पो. आ. शंकर नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"त्रिवेणी मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट" पता पी. 45 कविता नगर पो. आ. शंकर नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर
(2)	चल संपत्ति	:	10,000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 20-07-2015 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 08-06-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

रायपुर, दिनांक 12 जून 2015

प्र. क्र./ब-113 (1) /वर्ष 2014-15

क्रमांक/259/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2015.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री नवीनचन्द्र श्रीवास्तव, आत्मज श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव महावीर नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर द्वारा "लोटस वैली ट्रस्ट" पता मकान नं. 01 प्रेम पार्क गार्ड रूम के पास, महावीर नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"लोटस वैली ट्रस्ट" पता मकान नं. 01 प्रेम पार्क गार्ड रूम के पास, महावीर नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर
(2)	चल संपत्ति	:	15,000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 31-07-2015 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 12-06-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ. ग.)

अंबिकापुर दिनांक 8 जून 2015

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2015/485.— प्राथमिक विपणन सहकारी समिति मर्या. लुण्ड्रा पंजीयन क्रमांक 2133 को इस कार्यालय के सूचना पत्र क्रमांक विधि/2011/880 अम्बिकापुर दिनांक 26–08–2011 के द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (ग) के अंतर्गत "कारण बताओ सूचना पत्र" दिया गया था. जिसके जवाब में उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर की जॉंच में यह तथ्य पाया गया कि संस्था पंजीयक द्वारा निर्धारित कंडिका क्रमांक 08 एवं 11 का पालन नहीं कर रही है. चूंकि संस्था द्वारा पंजीयक द्वारा निर्धारित कंडिका का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य है.

अत: मैं ए. के. मिंज, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, अम्बिकापुर छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15–19/15–02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 मई 2012 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक विपणन सहकारी समिति मर्या. लुण्ड्रा को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

समिति का कार्य समेटने के लिए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्री एच. एस. यादव, स. वि. अ. अम्बिकापुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 8–6–15 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

ए. के. मिंज,
उप पंजीयक.

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/701.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत आई. टी. आई. प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. भिलाई पं. क्रमांक 1820 दिनांक.......... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15–01–2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आई. टी. आई. प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. भिलाई पं. क्रमांक 1820 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री आर. एस. तराने, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/702.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत वैभव लक्ष्मी प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. कोहका भिलाई पं. क्रमांक 2786 दिनांक 21-12-2004 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत वैभव लक्ष्मी प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. कोहका भिलाई पं. क्रमांक 2786 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री आर. एस. तराने, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/703.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत बाबा बैद्यनाथ प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. भिलाई पं. क्रमांक 2904 दिनांक 05-02-2009 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत बाबा बैद्यनाथ प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. भिलाई पं. क्रमांक 2904 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री आर. एस. तराने, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/704.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत महामाया जनकल्याण प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. शास्त्री नगर भिलाई पं. क्रमांक 2391 दिनांक.......... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत महामाया जनकल्याण प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. शास्त्री नगर भिलाई पं. क्रमांक 2391 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री आर. एस. तराने, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/705.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत मां भारती प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. अहिवारा पं. क्रमांक 2685 दिनांक.......... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत मां भारती प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. अहिवारा पं. क्रमांक 2685 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री आर. एस. तराने स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/706.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत आदर्श रेत खदान कामगार सह. समिति मर्या. कोटनी पं. क्रमांक 2571 दिनांक.......... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदर्श रेत खदान कामगार सह. समिति मर्या. कोटनी पं. क्रमांक 2571 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत कु. स्वाती कुटारे, उप. अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/707.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत मेघा महिला उद्योग सह. समिति मर्या. धनोरा पं. क्रमांक 2506 दिनांक........... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत मेघा महिला उद्योग सह. समिति मर्या. धनोरा पं. क्रमांक 2506 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत कु. स्वाती कुटारे, उप. अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/708.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत रेत खदान सह. समिति मर्या. सिपकोन्हा पाटन पं. क्रमांक 2590 दिनांक........... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत रेत खदान सह. समिति मर्या. सिपकोन्हा पाटन पं. क्रमांक 2590 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत कु. स्वाती कुटारे, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/709.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत विविध बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या. हर्राठेंगा पं. क्रमांक 1781 दिनांक........... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत विविध बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या. हर्राठेंगा पं. क्रमांक 1781 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री वाय. के. मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/710.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत हमाल श्रमिक कल्याण सह. समिति मर्या. दुर्ग पं. क्रमांक 2569 दिनांक........... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत हमाल श्रमिक कल्याण सह. समिति मर्या. दुर्ग पं. क्रमांक 2569 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री वाय. के. मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/711.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत मां अन्नपूर्णा फल सब्जी उत्पादन एवं विपणन सह. समिति मर्या. मतवारी पं. क्रमांक 142 दिनांक........... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत मां अन्नपूर्णा फल सब्जी उत्पादन एवं विपणन सह. समिति मर्या. मतवारी पं. क्रमांक 142 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री वाय. के. मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/712.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत खदान श्रमिक सह. समिति मर्या. नंदनी खुंदनी पं. क्रमांक 2563 दिनांक........... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत खदान श्रमिक सह. समिति मर्या. नंदनी खुंदनी पं. क्रमांक 2563 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री वाय. के. मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/713.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत ठगडा नहर नोनिया श्रमिक सह. समिति मर्या. दुर्ग पं. क्रमांक 2797 दिनांक........... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत ठगडा नहर नोनिया श्रमिक सह. समिति मर्या. दुर्ग पं. क्रमांक 2797 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री वाय. के. मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/714.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत जनकल्याण खदान श्रमिक सह. समिति मर्या. हुडको भिलाई पं. क्रमांक 2494 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत जनकल्याण खदान श्रमिक सह. समिति मर्या. हुडको भिलाई पं. क्रमांक 2494 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्रीमती शोभा गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/715.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत नौकायान श्रमिक सह. समिति मर्या. ठाकुराईनटोला पं. क्रमांक 2572 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत नौकायान श्रमिक सह. समिति मर्या. ठाकुराईनटोला पं. क्रमांक 2572 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्रीमती शोभा गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/716.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत नंदनी कामगार श्रमिक सह. समिति मर्या. नंदनी पं. क्रमांक 158 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत नंदनी कामगार श्रमिक सह. समिति मर्या. नंदनी पं. क्रमांक 158 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्रीमती शोभा गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/717.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत मां अष्टलक्ष्मी महिला साख सह. समिति मर्या. धमधा पं. क्रमांक 2818 दिनांक 4-10-2005 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत मां अष्टलक्ष्मी महिला साख सह. समिति मर्या. धमधा पं. क्रमांक 2818 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्रीमती शोभा गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/718.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सह. मर्या. धरमपुरा पं. क्रमांक 2254 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सह. मर्या. धरमपुरा पं. क्रमांक 2254 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्रीमती शोभा गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/719.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सह. मर्या. देवरी धमधा पं. क्रमांक 2255 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सह. मर्या. देवरी धमधा पं. क्रमांक 2255 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्रीमती शोभा गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/720.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सह. मर्या. बरहापुर धमधा पं. क्रमांक 2256 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सह. मर्या. बरहापुर धमधा पं. क्रमांक 2256 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्रीमती शोभा गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/721.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत जय मां संतोषी प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. कोहका भिलाई पं. क्रमांक 2896 दिनांक 26-09-2008 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत जय मां संतोषी प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. कोहका भिलाई पं. क्रमांक 2896 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री जे. पी. गौतम, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/722.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत अनिकेत प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. केम्प 01 भिलाई पं. क्रमांक 2902 दिनांक 12-12-2008 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत अनिकेत प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. केम्प 01 भिलाई पं. क्रमांक 2902 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री जे. पी. गौतम, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/722A.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत हरिओम प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. सेलूद पं. क्रमांक 2978 दिनांक 25-08-2011 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत हरिओम प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. सेलूद पं. क्रमांक 2978 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री जे. पी. गौतम, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/723.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत वैभव प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. वार्ड 16 हाउसिंग बोर्ड भिलाई पं. क्रमांक 2398 दिनांक 26-11-2008 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत वैभव प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. वार्ड 16 हाउसिंग बोर्ड भिलाई पं. क्रमांक 2398 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री जे. पी. गौतम, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/724.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत श्री सांई बाबा प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. न्यू कृष्णा नगर भिलाई पं. क्रमांक 2819 दिनांक 04-10-2005 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत श्री सांई बाबा प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. न्यू कृष्णा नगर भिलाई पं. क्रमांक 2819 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री जे. पी. गौतम, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/725.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत जनआस्था प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. राजीव नगर सुपेला पं. क्रमांक 2871 दिनांक 31-08-2008 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत जनआस्था प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. राजीव नगर सुपेला पं. क्रमांक 2871 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री जे. पी. गौतम, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/726.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत जनशताब्दी प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. रिसाली पं. क्रमांक 2782 दिनांक 29-09-2004 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत जनशताब्दी प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. रिसाली पं. क्रमांक 2782 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री एस. एम. महापात्र, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/727.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत श्री शीतला मां प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. बैगा पारा दुर्ग पं. क्रमांक 2380 दिनांक............ को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत श्री शीतला मां प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. बैगा पारा दुर्ग पं. क्रमांक 2380 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री एस. एम. महापात्र, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/728.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत रीता प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. भिलाई पं. क्रमांक 2915 दिनांक 13-04-2009 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत रीता प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. भिलाई पं. क्रमांक 2915 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री एस. एम. महापात्र, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/729.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत एकता महिला प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. दुर्ग पं. क्रमांक 2555 दिनांक 03-04-1995 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत एकता महिला प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. दुर्ग पं. क्रमांक 2555 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री एस. एम. महापात्र, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/730.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत बी. एस. पी. कर्मचारी प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. सेक्टर 05 भिलाई पं. क्रमांक 2141 दिनांक.......... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत बी. एस. पी. कर्मचारी प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. सेक्टर 05 भिलाई पं. क्रमांक 2141 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री एस. एम. महापात्र, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/731.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत मां गायत्री प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. भिलाई पं. क्रमांक 2864 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत मां गायत्री प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. भिलाई पं. क्रमांक 2864 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री एस. एम. महापात्र, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/732.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक सह. उप. भंडार मर्या. कृष्णा नगर भिलाई पं. क्रमांक 2816 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्राथमिक सह. उप. भंडार मर्या. कृष्णा नगर भिलाई पं. क्रमांक 2816 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री एस. एम. महापात्र, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/733.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्राथमिक प्रिटिंग प्रेस रामनगर भिलाई पं. क्रमांक 2592 दिनांक.......... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्राथमिक प्रिटिंग प्रेस रामनगर भिलाई पं. क्रमांक 2592 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्रीमती पायलरानी अग्रवाल, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/734.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत अक्षर आरसी कामगार सह. समिति मर्या. फरीदनगर, भिलाई पं. क्रमांक 2762 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत अक्षर आरसी कामगार सह. समिति मर्या. फरीदनगर, भिलाई पं. क्रमांक 2762 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्रीमती पायलरानी अग्रवाल, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/735.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत जय शीतला खनिज खदान सह. समिति मर्या. रींवागहन पं. क्रमांक 2700 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत जय शीतला खनिज खदान सह. समिति मर्या. रींवागहन पं. क्रमांक 2700 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्रीमती पायलरानी अग्रवाल, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/736.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार खनिज सह. समिति मर्या. थनोद पं. क्रमांक 2636 दिनांक.......... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार खनिज सह. समिति मर्या. थनोद पं. क्रमांक 2636 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्रीमती पायलरानी अग्रवाल, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/737.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहकारी मुद्रणालय सह. समिति मर्या. दुर्ग पं. क्रमांक 159 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहकारी मुद्रणालय सह. समिति मर्या. दुर्ग पं. क्रमांक 159 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्रीमती पायलरानी अग्रवाल, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/738.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत नवसाक्षर महिला अगरबत्ती उद्योग सह. समिति मर्या. जरवाय पं. क्रमांक 2557 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत नवसाक्षर महिला अगरबत्ती उद्योग सह. समिति मर्या. जरवाय पं. क्रमांक 2557 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत सुश्री संगीता देवांगन, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/739.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत सर्वोदय खदान श्रमिक सह. समिति मर्या. विनायकपुर पं. क्रमांक 2495 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत सर्वोदय खदान श्रमिक सह. समिति मर्या. विनायकपुर पं. क्रमांक 2495 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत सुश्री संगीता देवांगन, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/740.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत जय मां शारदा रेत खदान सह. समिति मर्या. अमलेश्वर पं. क्रमांक 2546 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत जय मां शारदा रेत खदान सह. समिति मर्या. अमलेश्वर पं. क्रमांक 2546 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत सुश्री संगीता देवांगन, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/742.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत ग्रामीण कुटकुट पालन सह. समिति मर्या. तिरगा पं. क्रमांक 2497 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत ग्रामीण कुटकुट पालन सह. समिति मर्या. तिरगा पं. क्रमांक 2497 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत सुश्री संगीता देवांगन, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/743.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत विश्वदर्शन केबल नेटवर्क प्रसारण सह. समिति मर्या. भिलाई पं. क्रमांक 2587 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत विश्वदर्शन केबल नेटवर्क प्रसारण सह. समिति मर्या. भिलाई पं. क्रमांक 2587 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत कु. स्वाती कुटारे, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/744.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत जय अम्बे पत्थर खदान सह. समिति मर्या. पंदर पं. क्रमांक 2701 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 97 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत जय अम्बे पत्थर खदान सह. समिति मर्या. पंदर पं. क्रमांक 2701 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत कु. स्वाती कुटारे, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है

दुर्ग, दिनांक 22 अप्रैल 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/870.—आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या. पहडोर पंजीयन क्रमांक 2199 जिला दुर्ग को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम की धारा 71 (1) के प्रावधान/अनुरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2014/523 दुर्ग दिनांक 29-03-2014 के द्वारा श्री अनिश दीवान, उप-अंकेक्षक, दुर्ग को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री अनिश दीवान, उप-अंकेक्षक, दुर्ग द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं छत्तीसगढ़ सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अन्तर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं सन्तुष्ट हूं और यह धारणा करती हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं श्रीमती किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या. पहडोर पंजीयन क्रमांक 2199 जिला दुर्ग का पंजीयन निरस्त करती हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-04-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है

किरण गुप्ता,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.